न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

राजस्व अपील संख्या –50/2022

1. प्रताप पुत्र जगदेव सिंह
2. जयसिंह पुत्र जगदेव सिंह
3. जगदेव पुत्र जवारा
   समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम बड़ल्या तहसील व जिला अजमेर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये पटवारी बडल्या तहसील व जिला अजमेर

.....असल रेस्पोडेन्ट

3. रामदेव पुत्र जवारा
4. सुखदेव पुत्र जवारा
   समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम बडल्या तहसील व जिला अजमेर

.....तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :–

1. श्री महेन्द्र सिंह चौहान — अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर — पेरोकार सरकार

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध तहसीलदार अजमेर निर्णय दिनांक 02.08.2021 जो कि प्रकरण संख्या 03/2021 में पारित किया

आदेश

दिनांक –16.09.2025

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात खसरा नम्बर 394 ग्राम बडल्या तहसील व जिला अजमेर में स्थित है जिस पर अपीलांट संख्या 3 एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट्स अपनी अन्य पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात पर अपने पूर्वजो के समय से ही निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष दुर्भावनावश उक्त अपीलांट संख्या 3 एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट्स की उक्त पुश्तैनी खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात में गैर कानूनी रूप से अपीलांट संख्या 1 व 2 को पक्षकार मुर्तिब कर रास्ता रोके जाने का प्रकरण बनाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत किया तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को दर्ज किया जाकर अविधिक रूप से अपीलांट संख्या 3 एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात में से जबरन रास्ता प्रदान किए

जिला कलक्टर
अजमेर

जाने का आदेश दिनांक 02.08.2021 को प्रदान कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पो. संख्या 3, 4 के नोटिस पर तामिल कुलन्दें की रिपोर्ट लेने से इन्कार व दो गवाहन के हस्ताक्षर अंकित किए जाने बावजूद सूचना गैर हाजिर अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट नें अपील कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात खसरा नम्बर 394 ग्राम बडल्या तहसील व जिला अजमेर में स्थित है जिस पर अपीलांट संख्या 3 एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट्स अपनी अन्य पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात पर अपने पूर्वजो के समय से ही निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष दुर्भावनावश उक्त अपीलांट संख्या 3 एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट्स की उक्त पुश्तैनी खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात में गैर कानूनी रूप से अपीलांट संख्या 1 व 2 को पक्षकार मुर्तिब कर रास्ता रोके जाने का प्रकरण बनाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत किया तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को दर्ज किया जाकर अविधिक रूप से अपीलांट संख्या 3 एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात में से जबरन रास्ता प्रदान किए जाने का आदेश दिनांक 02.08.2021 को प्रदान कर दिया। तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट अजमेर द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 394 अपीलांट संख्या 3 एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात है जिस बाबत मौके पर किसी भी प्रकार का रास्ता इत्यादी मौजूद नहीं है इसके बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अविधिक रूप से अन्य लोगो को अवांछित लाभ प्रदान करते हुए खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात में से रास्ता दिलवाये जाने का प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2021 को उक्त प्रकरण को स्वीकार किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया। जो निरस्त योग्य है। विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 394 बाबत् रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट किया था कि विवादित आराजीयात के बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत मामला दर्ज किया जाकर निस्तारण करना उचित होगा परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी कानून एवं नियमों को ताक में रखते हुए विवादित आराजीयात बाबत् खातेदारों की निजी खातेदारी होने के बावजूद उक्त प्रकरण बाबत् धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मामला दर्ज किया जाकर अवांछित लोगो को लाभ देते हुए उक्त आदेश दिनांक 2.8.2021 पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार यदि किसी भी अन्य दीगर व्यक्ति को या अन्य सह काश्तकारों को किसी खातेदार की जमीन में से रास्ता इत्यादि की आवश्यकता होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनिय की धारा 251 ए के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के विपरीत जाकर उक्त प्रकरण को धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का होने के बावजूद उक्त प्रकरण को अधीनस्थ

जिला कलक्टर
अजमेर

न्यायलय द्वारा अपने समक्ष दर्ज किया जाकर क्षेत्राधिकार के विरूद्व जाकर उक्त आदेश दिनांक 2.8.2021 पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। विवादित आराजीयात खातेदारों की निजी खातेदारी की आराजीयात है तथा नियमानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के अन्तर्गत निजी खातेदारों से अवाप्त की जाने वाली भूमि की वर्तमान डी. एल.सी रेट की दुगनी राशि प्रदान किए जाने के उपरान्त सभी काश्तकारों को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर ही रास्ता दिये जाने का प्रावधान है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर उक्त आदेश दिनांक 2.8.2021 पारित कर दिया। विवादित आराजीयात अपीलांट संख्या 3 एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट्स की निजी खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त खातेदार एवं काश्तकारों को अपने बिना पक्षकार अंकित किये उनकी खातेदारी काश्तकारी की भूमि को अदृश्य रूप से समाप्त किए जाने जैसा आदेश प्रदान कर उनकी खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात में से अविधिक रूप से रास्ता प्रदान करने का आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा संख्या 394 बाबत अपीलांट्स संख्या 1 व 2 को पक्षकार मुर्तिब किया जाकर अपीलांट संख्या 3 एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट्स को बिना साक्ष्य व सुनवाई तथा जवाब का अवसर प्रदान किये प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विरूद्ध जाकर उक्त आदेश दिनांक 02.08.2021 पारित किया है जो निरस्त योग्य है। विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 394 अपीलांट संख्या 3 एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 2.8.2021 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 में अंकित शब्दो का उल्लेख करते हुए उक्त प्रकरण कर निस्तारण कर दिया तथा उक्त धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह स्पष्ट है कि पूर्व में दर्ज रास्ते जो कि पूर्व से ही प्रचलित है उनको किसी भी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण कर रोके जाने के उपरान्त ऐसे प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार उक्त अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई का क्षेत्राधिकार था किन्तु उक्त प्रकरण में खसरा नम्बर 394 अपीलांट संख्या 3 एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट्स की निजी खातेदारी की आराजीयात है जिस बाबत मौके पर किसी प्रकार का रास्ता कायम नहीं है इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 2.8.2021 में बिना विस्तृत कारण का उल्लेख करते हुए उक्त आदेश दिनांक 2.8.2021 पारित किया जो निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.8.2021 निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान करावे।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया गया कि तहसीलदार अजमेर द्वारा विधि अनुसार आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम बड़ल्या तहसील अजमेर जिला अजमेर स्थित रास्ते पर अतिक्रमण के सबंध में शिकायत प्राप्त होने पर तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 03/2021 को दर्ज कर रेस्पोडेन्ट/अपीलांट को विधिवत सुनवाई कर निर्णय दिनांक 02.08.2021 पारित किया गया है, जिस आदेश में रेस्पोडेन्ट/अपीलांट 1 व 2 द्वारा दिनांक 02.08.2021 को व्यक्तिशः उपस्थित होकर ग्राम बडल्या में मदन की चक्की से नाकोला बाडिया जाने वाले

जिला कलक्टर
अजमेर

रास्ते को जे.सी.बी. चलाकर बन्द किया जाना स्वीकार किया गया है। राजस्व मानचित्र 1983–1984 में उक्त रास्ता कच्चे रास्ते के रूप में खसरा नं. 394 के सामने अंकित हैं। उक्त रास्ते पर ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2013 में कार्य भी करवाया गया हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट मात्र अतिक्रमी है जिसको आम रास्ते की भूमि को बंद किया जाना का कतई विधिक अधिकार नहीं है। अपीलान्ट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं करवाये गये है जिससे उनके कथनों की पुष्टि होती हों।

अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2021 न्यायोचित प्रतीत होने से इसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 16.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर
अजमेर